निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्याः– 02 / 2024(अपील)
दायर दिनांकः– 06 / 03 / 2024
निर्णय दिनांकः– 04 / 11 / 2025

अनवान

1. लेहरकंवर पुत्री मोडसिंह पत्नि अभयसिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनसिंह पिता मोडसिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
2. लादूसिंह पिता मोडसिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)।
3. महेन्द्रसिंह पिता खेमासिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
4. जवानसिंह पिता खेमासिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।
5. तेजसिंह पिता खेमासिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०) ।
6. कानसिंह पिता खेमासिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)।
7. संन्तोषकंवर पुत्री खेमासिंह पत्नि रणसिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)। हाल निवासी टणंका तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज०)।
8. दिलखुशंकवर पुत्री खेमासिंह पत्नि मानसिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम कुआथल हाल निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज०)।
9. सरपंच ग्राम पंचायत कुंआथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)।

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1020 दिनांक 15.06.1980 ग्राम पंचायत कुआंथल

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 1020 दिनांक 15.06.1980 ग्राम पंचायत कुआंथल के

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट के पिता मोडसिंह पिता सालमसिंह जाति राजपूत के खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम कुंआथल कि गत जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 के खाता संख्या 368 आराजी नम्बर 759 रकबा 3.03 बीघा, आराजी नम्बर 1822 रकबा 26.18 व खाता संख्या 369 आराजी नम्बर 1917 रकबा 0.07 बीघा व खाता नम्बर 370 आराजी नम्बर 272 रकबा 7. 05 बीघा, आरजी नम्बर 273 रकबा 1.01 बीघा, आराजी नम्बर 1811 रकबा 1.04 बीघा, आराजी नम्बर 1812 रकबा 0.08 बिस्वा. आरजी नम्बर 1814 रकबा 2.07 बीघा, आराजी नम्बर 1819 रकबा 1.12 बीघा कुल किता 6 रकबा 13.17 व खाता नम्बर 372 आरजी नम्बर 820 रकबा 0. 10 बिस्वा खाता नम्बर 373 आराजी नम्बर 816 रकबा 1.02 बीघा, आरजी नम्बर 837 रकबा 0. 06 विस्बा, आराजी नम्बर 838 रकबा 0.07 विस्वा, आराजी नम्बर 945 रकबा 0.05 बिस्वा आराजी नम्बर 947 रक्बा 0.12 स्थित थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 जिसके नये खाता नम्बर 213 आराजी नम्बर 1972 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1974 क्षेत्रफल 0.0300 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.1800 हैक्टेयर व खाता संख्या 541 आराजी नम्बर 2468 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2474 क्षेत्रफल 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 759 क्षेत्रफल 1.5700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 760 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2.4800 हैक्टेयर, खाता संख्या 542 आराजी नम्बर 1953 क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टेयर, खाता संख्या 543 आराजी नम्बर 1949 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1970 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1971 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1978 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1980 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.5800 हैक्टेयर, खाता संख्या 545 आराजी नम्बर 2478 क्षेत्रफल 5.8100 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 5.8100 हैक्टेसर, खाता संख्या 546 आराजी नम्बर 2475 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, खाता संख्या 547 आराजी नम्बर 1955 क्षेत्रफल 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1962 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर; आराजी नम्बर 1964 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1966 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1973 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.6400 हैक्टेयर, खाता संख्या 724 आराजी नम्बर 1977 क्षेत्रफल 0. 0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 281 आराजी नम्बर 2470 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टेयर है। अपीलान्ट के पिता मोडसिंह की मृत्यु होने से उनके वारिसान के नाम उनके के पुत्र लाडुसिंह, खेमसिंह उर्फ नाहरसिंह, मोहनसिंह, के नाम नामान्तरकरण खोल दिया एवं अपीलान्ट जो उनकी पुत्री लेहरकंवर थी उसका नाम छोड कर केवल पुत्र के नाम पर दर्ज कर दिया गया व पुत्री का नाम छोड दिया गया। जिससे अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया समस्त भूमि पुत्रो के नाम दर्ज हो गयी जबकि उनकी पुत्री अपीलान्ट जिन्दा थी को छोड दिया गया। यह कि अपीलान्ट के पिता मोडसिंह की मृत्यु का नामान्तरकरण संख्या 1020 खोलते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बिना जॉच किये मृतक कि पुत्री जीवित होते हुए भी विरासत का नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

पुत्रो के नाम पर ही खोलने की गम्भीर लापरवाही की है। यह कि रेस्पोडेन्टगणो ने पटवारी हल्का से मिलिभगत कर अपीलान्ट के पिता कि खातेदारी भूमि जो मेरे पिता मोडसिंह की थी का नामान्तरकरण संख्या 1020 से पुत्रो के नाम पर नामान्तरकरण खुलवा दिया था। जबकि पुत्री जिन्दा है। नामान्तरकरण कानून अवैध एवं प्रभाव शुन्य है। अपीलान्ट को 29.01.2024 को रेकार्ड की नकले लेने एवं बाद में कानूनी सलाह प्राप्त करने से जानकारी उत्पन्न हुई। अपीलान्ट कि यह अपील उसके पिता की विरासत से भूमि में उसके हिस्से जमाबन्दी के अनुसार हिस्से को रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु अपील पेश की गयी है। तथा मोडसिंह का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट को सुचित नहीं करने से अपीलान्ट कि अपील मियाद अवधि से बाधित नही है। किन्तु अपीलान्ट यह अपील नामान्तरकरण पारित करने एवं उसकी अपील मियाद हेतु दिनांक 15.06.1980 से आज दिनांक पेश होने अपील तक कि मियाद माफी चाहने हेतु पेश कि जा रही है। मेरे पिता मोडसिंह की मृत्यु का नामान्तरकरण ओथेरेटी ने मुझ अपीलान्ट को कोई सुचना जानकारी नही दी मेरे पिठ पिछे खुला नामान्तरकरण की कोई अपील कि मियाद नही होती है एवं यह नामान्तरकरण प्रभावहीन होने से पश्चातवर्ती नामान्तरकरण भी प्रभावहीन हो जाते है। अपीलान्ट अपने सुसराल रहने से उक्त नामान्तरकरण निर्णित होने का पता नही था व अब ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से नकले निकलवाने गये जब नामान्तरकरण खुलने व मेरा नाम नही होने कि जानकारी हुई। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम कुंआथल के नामान्तरकरण संख्या 1020 दिनांक 15.06.1980 को निरस्त कर दिया जाकर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट व अपीलान्टगण है को उनके पिता कि खातेदारी भूमि ग्राम कुंआथल पटवार हल्का कुंआथल तहसील देवगढ में स्थित भूमि जो उनके पिता के नाम पर जो भूमि दर्ज थी। ग्राम कुआथल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 के खाता संख्या 368 आराजी नम्बर आरजी नम्बर 759 रकबा 3.03 बीघा, आराजी नम्बर 1822 रकबा 26.18 व खाता संख्या 369 आराजी नम्बर 1917 रक्बा 0.07 बीघा व खाता नम्बर 370 आराजी नम्बर 272 रकबा 7.05 बीघा, आरजी नम्बर 273 रक्बा 1.01 बीघा, आराजी नम्बर 1811 रक्बा 1.04 बीघा, आराजी नम्बर 1812 रकबा 0.08 बिस्वा, आरजी नम्बर 1814 रकबा 2. 07 बीघा, आराजी नम्बर 1819 रकबा 1.12 बीघा कुल किता 6 रकबा 13.17 व खाता नम्बर 372 आरजी नम्बर 820 रकबा 0.10 बिस्वा खाता नम्बर 373 आराजी नम्बर 816 रक्बा 1.02 बीघा, आरजी नम्बर 837 रकबा 0.06 विस्बा, आराजी नम्बर 838 रकबा 0.07 विस्वा, आराजी नम्बर 945 रक्बा 0.05 बिस्वा आराजी नम्बर 947 रक्बा 0.12 स्थित थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 जिसके नये खाता नम्बर 213 आराजी नम्बर 1972 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1974 क्षेत्रफल 0.0300 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.1800 हैक्टेयर व खाता संख्या 541 आराजी नम्बर 2468 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2474 क्षेत्रफल 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 759 क्षेत्रफल 1.5700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 760 क्षेत्रफल 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 2.4800 हैक्टेयर, खाता संख्या 542 आराजी नम्बर 1953 क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ जिला-राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.1100 हैक्टेयर, खाता संख्या 543 आराजी नम्बर 1949 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1970 क्षेत्रफल 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1971 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1978 क्षेत्रफल 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1980 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.5800 हैक्टेयर, खाता संख्या 545 आराजी नम्बर 2478 क्षेत्रफल 5.8100 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 5.8100 हैक्टेयर, खाता संख्या 546 आराजी नम्बर 2475 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, खाता संख्या 547 आराजी नम्बर 1955 क्षेत्रफल 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1962 क्षेत्रफल 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1964 क्षेत्रफल 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1966 क्षेत्रफल 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1973 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 0.6400 हैक्टेयर, खाता संख्या 724 आराजी नम्बर 1977 क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.0700 हैक्टेयर, खाता संख्या 281 आराजी नम्बर 2470 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टेयर है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में वसियत कि सम्पति में अपीलान्ट प्रथम अनुसुचि में आती है। नोर्मस के अनुसार अपील का जो हिस्सा बनता है दर्ज रेकार्ड फरमाने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 09 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर0आर0डी0 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रमाणित किया गया है कि–

Limitation Act, 1963, S.5 Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case Legality of Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

चुंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मियाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकरों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। ये यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

नामान्तरण के प्रावधानः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1):– ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ्य की जानकारी होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो तथा निर्विकार मामलों में यदि उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य अर्जन हुए प्रतीत हो तो उन्हें वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगा।

इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 का विश्लेषण किया जाना समीचीन हैः–

धारा 40 के अनुसारः– आसामियों का उत्तराधिकार

Succession to tenants When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.

"जब आसामी अन्तिमेच्छा –पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके भूमि–क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होंगे जिसके की वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था।"

उक्त प्रावधानों के तहत आक्षेपित नामान्तरण संख्या 1020 निर्णय दिनांक 05/06/1980 का अवलोकन किया जाना उचित होगाः–

उक्त नामान्तरकरण विरासती दर्ज हुआ है, विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेखित नियम 1957) के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक हैः– उक्त नियमों में नियम 119 से नियम 144 तक विस्तृत विवरण दिया गया हैः–

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)

नियम 121 सामान्य हिदायतें:–

उक्त नियम में नामान्तरणकरण दर्ज करते समय आवश्यक कार्यवाही/प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई/बयान इत्यादि का विवरण दिया गया है–

उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि मृतक मोडसिंह पिता सालमसिंह के वारिसान मे पुत्र के साथ स्वयं पुत्री भी सम्मिलित है। इसलिए उसका पक्ष सुने बिना मृतक पिता की भूमि में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि विरासती नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पुत्रियों को भी पुत्र में भांति समान अधिकार प्रदान किए गए है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस के उपरान्त हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर मनन किया गया कि ग्राम पंचायत कुआंथल द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1020 निर्णय दिनांक 15.06.1980 में नामान्तरणकरण दर्ज करने के संबंध में दिए गए विधिक प्रावधान एवं कानूनी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ ग्राम पंचायत कुआंथल द्वारा त्रुटि/भूल कारित की गई है। अतः आपेक्षित नामान्तरकरण संख्या 1020 निर्णय दिनांक 15.06.1980 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कुआंथल पटवार मण्डल कुआंथल के नामान्तरकरण संख्या 1020 निर्णय दिनांक 15/06/1980 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक मोडसिंह पिता सालमसिंह के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जिला राजसमन्द (राज.)